

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्र संख्या-657एफए/11-155एफए/98

दिनांक : 11 अप्रैल, 2011

—: कार्यालय आदेश :-

निदेशक मंडल की 145वीं बैठक दिनांक 30.01.99 को प्रस्तावित मद सं०-16 पर निर्णय के अनुसार परिवहन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को भर्ती अवधि में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अधिकार अपर प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक में निहित थे। निगम बोर्ड की 180वीं बैठक दिनांक 21.02.11 की मद सं०-26 द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

निदेशक मंडल ने उपरोक्त एजेन्डा का अवलोकनोपरान्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संशोधित अधिकारों पर स्वीकृति प्रदान की।

- | | |
|--|---|
| 1. भर्ती अवधि में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त निगम एवं मुख्य लेखाधिकारी के अधिकार के ऊपर रु० 10,000/- से रु० 2.00 लाख तक, प्रत्येक प्रकरण में। | अपर प्रबन्ध निदेशक/
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक तर्ष में रूपया 60 लाख, सीमा समाप्ति पर प्रबन्ध निदेशक |
| 2. रु० 2.00 लाख से अधिक प्रत्येक प्रकरण में। | प्रबन्ध निदेशक
(सम्पूर्ण अधिकार) |

पूर्व में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनिस्तारित प्रकरणों पर भी यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

हो
(नरेंद्र गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक एवं समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम।
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम।
5. समस्त सम्परीक्षा अधिकारी, उ०प्र०परिवहन निगम।
6. प्रधान प्रबन्धक, के०का०कार्यशाला/डा०राम०लो०कार्यशाला, उ०प्र० परिवहन निगम।
7. प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० परिवहन निगम।
8. अधिशासी अभियन्ता, पूर्व/पश्चिम, उ०प्र०परिवहन निगम।
9. प्रबन्धक, कारसेक्शन, उ०प्र०परिवहन निगम।
10. प्रबन्धक,आहरण-वितरण, उ०प्र०परिवहन निगम,मुख्यालय,लखनऊ।

(सन्ध्या मोहन)
वित्त नियंत्रक